राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

क्रमांक : एफ.20(101/127)लोसू–2005/आकाशि/2024/661-673 दिनांक : 29-4-2024

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) का परिपत्र क्रमांक प. 3(22) प्रसु/सूअप्र/2006, जयपुर दिनांक 28.03.2024 के अनुक्रम में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–3)विभाग, जयपुर के राजकाज ई पत्रांक नं. 6486997/00235 दिनांक 15.04.2024 ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों की विभागीय अधिनियमों, नियमों/विनियमों/आदेश/परिपत्र इत्यादि की सूचना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है ताकि आम नागरिकों को सूचना के आवेदन दायर करने की आवश्यकता कम से कम हो। सभी लोक प्राधिकरणों को अपने विभाग की वेबसाईट पर स्वतः प्रकट (suo motu disclosure) की सूचनाएं प्रकट करने तथा उक्त धारा की पालना हेतु उक्त विभाग द्वारा समय–समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं।

लोक प्राधिकरणों को अपने विभाग की वेबसाईट पर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) (2) (3) व (4) के अनुरूप सूचना को प्रकट करना एवं उन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

अतः समस्त लोक प्राधिकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (1) (2) (3) व (4) के अनुरूप विभागीय अधिनियमों/नियमों/विनियमों/आदेश/परिपत्र इत्यादि के साथ–साथ अधिक से अधिक सूचना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाना एवं पूर्व में प्रकाशित की हुई सूचना को अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे विभागीय अभिलेख/दस्तावेज आम नागरिकों को सहज रूप से प्राप्त हो सकें।

संलग्न :- (पृष्ठ : 2)

(डॉ. अनिल कुमार यादव)
SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांक : एफ.20(101/127/2022)लोसू/आकाशि/2005/661-673 दिनांक : 29-04-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(22)प्रसू/सूअप्र/2006 दिनांक 28.03.2024 के संदर्भ में।
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 10(29)शिक्षा–3/2020 के राजकाज ई पत्रांक नं. 6486997/00235 दिनांक 15.04.2024 के संदर्भ में।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ओ.टी.एस. चौराहा, झालाना लिंक रोड़, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
6. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
8. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
9. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
10. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
11. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय(विधि महाविद्यालयों सहित),राजस्थान।
12. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (1) (2) (3) व (4) के अनुरूप विभागीय अधिनियमों/नियमों/विनियमों/आदेश/परिपत्र इत्यादि के साथ–साथ अधिक से अधिक सूचना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाना एवं पूर्व में प्रकाशित की हुई सूचना को अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित कराये जाने हेतु उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोढ़ करें।
13. रक्षित पत्रावली।

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

16-4-2024

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 10(29) शिक्षा/ग्रुप–3/2020–00235 जयपुर, दिनांकः

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज.,
जयपुर।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों को विभागीय अधिनियमों, नियमों/विनियमों/आदेश/परिपत्र इत्यादि की सूचना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 28.03.2024 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों को विभागीय अधिनियमों, नियमों/विनियमों/आदेश/परिपत्र इत्यादि की सूचना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने एवं पूर्व में प्रकाशित की हुई सूचना को अद्यतन करवाने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref
6486997

Validity unknown
Digitally signed by Dr. Narendra Kumar Thory
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.04.15 13:10:01 IST
Reason: Approved

आजादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राज. जयपुर-302015
क्रमांक ...460...
दिनांक ...16/04/2024...

क्रमांक प. 3(22) प्रसु/सूअप्र/2006

जयपुर, दिनांक : 28 MAR 2024

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों को विभागीय अधिनियमों, नियमो/विनियमों/आदेश/परिपत्र इत्यादि की सूचना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि आम नागरिकों को सूचना के आवेदन दायर करने की आवश्यकता कम से कम हो। सभी लोक प्राधिकारणों को अपने विभाग की वेबसाईट पर स्वतः प्रकट (suo motu disclosure) की सूचनाए प्रकट करने तथा उक्त धारा की पालना हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र दिनांक 03.10.2005, 03.05.2007, 11.02.2010, 18.05.2010, 05.05.2011, 03.06.2011, 14.06.2011, 23.10.2017, 06.01.2022 एवं 18.10.2023 जारी किये गये है।

लोक प्राधिकरणों को अपने विभाग की वेबसाईट पर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) (2)(3) व (4) के अनुरूप सूचना को प्रकट करना एवं उन्हे नियमित रूप से अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

अतः समस्त लोक प्राधिकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (1) (2) (3) व (4) के अनुरूप विभागीय अधिनियमों/नियमो/विनियमों/आदेश/परिपत्र इत्यादि के साथ-साथ अधिक से अधिक सूचना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाना एवं पूर्व में प्रकाशित की हुई सूचना को अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे विभागीय अभिलेख/दस्तावेज आम नागरिकों को सहज रूप से प्राप्त हो सकें।

(राजन विशाल)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग।
9. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव

Document certified by RAJAN VISHAL <secyma@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Rajan Vishal
Designation: Secretary To Government
Date :28-03-2024 01:21:43